रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938
No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई , 2016

सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य)(संशोधन) विनियम, 2015 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 फरवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) द्वितीय संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.13 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"2.14 ग्लूटिन मुक्त खाद्य- (1) ग्लूटिन मुक्त खाद्य में ऐसे एक या अधिक संघटक, जिनमें चावल, मिलेट, रागी, दालें या सेम (लेग्युम्स) हों, होते हैं या उनसे उसे बनाया जाता है।

(2) इस पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेंजिग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.4.5 (50) में निर्दिष्ट घोषणा से युक्त लेबल लगा होगा।

(3) ऐसे किसी खाद्य की, जो प्रकृति स्वरूप ग्लूटिन मुक्त आहार के भागरूप उपयोग के लिए उपयुक्त है, "विशेष आहरीय", "विशेष आहारिकी" या किसी अन्य समतुल्य पद के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, तथापि ऐसे खाद्य लेबल पर ऐसा कथन किया जा सकता है कि 'यह खाद्य ग्लूटिन मुक्त प्रकृति का है' ।

(4) ग्लूटिन मुक्त उत्पाद के रूप में लेबल लगाए जाने के प्रयोजन के लिए, जब ऐसे किसी उत्पाद का विश्लेषण किया जाए तो उसका ग्लूटिन स्तर आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन या शासकीय कृषिक रसायनज्ञ संगम द्वारा घोषित पद्धति के अनुसार 20 मि. ग्रा./कि. ग्रा. से नीचे का होगा

परंतु यह ग्लूटिन मुक्तत खाद्य संबंधी आवश्यक संरचना उपबंधों के अनुरूप हो और ऐसे किसी कथन से उपभोक्ता भ्रमित न हो ।

2.15. ऐसा खाद्य, जो ग्लूटिन अंतर्वस्तु को 20 - 100 मिग्रा./किग्रा. के स्तर तक कम करने के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत किया जाता है - (1) इस खाद्य में 20-100 मिग्रा./किग्रा. कि श्रंखला में ग्लूटिन अंतर्वस्तु वाले ऐसे एक या अधिक संघटक, जिनमें चावल, मिलेट, रागी, जई, राई, जौ, मक्का, गेहूं, दालें और सेम अंतर्विष्ट हों, होते हैं या वह उनसे बनाया जाता है।

(2) इस पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेंजिग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.4.5 (51) और (52) में निर्दिष्ट घोषणा से युक्त लेबल लगा होगा।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./60(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्लिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015 और

(xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डड्र्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2016

No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015, was published as required by sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 28th January, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th February, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, after regulation 2.13, the following regulations shall be inserted, namely:-

"2.14 Gluten Free Food.- (1) Gluten free food consist of or is made of one or more ingredients containing rice, millets, ragi, pulses or legumes.

(2) It shall bear the label declaration referred to in sub-regulation 2.4.5 (50) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

(3) A food which, by its nature, is suitable for use as part of a gluten free diet shall not be named as 'special dietary', "special dietetic" or any other equivalent term, however, such food may bear a statement on the label that 'this food is by its nature gluten-free'.

(4) For the purpose of labelling of a product as gluten free, when such a product is analysed, the gluten levels shall be below 20 mg/kg as per the method declared by the Organization for Economic Co-operation and Development or the Association of Official Agricultural Chemists.

Provided that it complies with the essential composition provisions for Gluten Free food and such a statement does not mislead the consumer.

2.15 Food specially processed to reduce gluten content to a level 20 -100mg/kg.- (1) This food consists of or are made of one or more ingredients which may contain rice, millets, ragi, oats, rye, barley, maize, wheat, pulses and legumes containing gluten content in range of 20 -100 mg/kg.

(2) It shall bear the label declaration referred to in sub-regulation 2.4.5 (51) and (52) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./60(187)]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;

(v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;

(vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015 and

(xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

सं0 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014.- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2015 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 फरवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के, विनियम 2.4 के उप विनियम 2.4.5 के खंड (49) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(50) "ग्लूटिन मुक्त" पद, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.14 में वर्णित उत्पादों की दशा में उत्पाद के नाम के ठीक निकट मुद्रित किया जाएगा, अर्थात्:--

"ग्लूटिन मुक्त"

(51) "न्यून ग्लूटिन" पद, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.15 में वर्णित उत्पादों की दशा में उत्पाद के नाम के ठीक निकट मुद्रित किया जाएगा, अर्थात्:--

"न्यून ग्लूटिन"

(52) लेबल पीआर यह 'चेतावनी' होगी कि ऐसा खाद्य, जिस पर 'न्यून ग्लूटिन' का लेबल लगा हो, उदर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है ।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./60(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यां क फा.सं.2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्लिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013; और

(iii) फा.सं. 1-83एल/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015.

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2016

No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Amendment) Regulations, 2015, were published as required by sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated the 28th January, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th February, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) First Amendment Regulations, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4, in sub regulation 2.4.5, after sub-clause (49), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

“(50) The term "Gluten Free" shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.14 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

“Gluten Free”

(51) The term “Low Gluten” shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.15 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

“Low Gluten”

(52) The label shall carry a ‘warning’ that ‘the food labelled as Low Gluten may pose a risk for those with celiac disease.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./60(187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013 and

iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.